न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 19 / 2025(GCMS 2025/187)
(RTI No.)

श्री संजय पुत्र श्री बीरबल राम निवासी झान्सल, 3 जे एस एल तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ (मोबाईल नम्बर – 99823–93210)

बनाम

अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ (तत्कालीन जिला अनूपगढ़)

27.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री संजय स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.12.24 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री संजय ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> अनूपगढ़ जिले में आवंटन के लिए नहरी भूमि जो आज दिनांक तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी भूमि आरक्षित रखी गयी है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ34(18)(6) आरटीआई / सामान्य / 2024 / 4739 दिनांक 17.09.2025 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि अपील लोक सूचना अधि. सं. 19 / 2025 के तहत अपील संख्या 58 / 2024 अपीलार्थी श्री संजय पुत्र बीरबल राम बनाम अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ की अपील के संबंध में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का जवाब कार्यालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ के पत्र क्रमांक 7945594537 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा दिया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 19/2025
(GCMS No. 2025/187)
(RTI No. :)

तत्कालीन लोक **सूचना** अधिकारी **एवं** अति. जिला **कलक्टर, अनूपगढ़** ने अपने ऑनलाईन पत्रांक 7945594537 दिनांक 13.12.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> आप द्वारा चाही गई सूचना का विवरण स्पष्ट नहीं है एवं प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो एवं प्रश्नात्मक नहीं हो। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना नहीं दी जा सकती है।

तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को** किसी विशेष तरीके से करने या ... के आदेश/निर्देश **नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा ... स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **...ना के रूप में** कोई **सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 19 / 2025
(GCMS No. 2025/187)
(RTI No. :)

नही है। इसलिए तत्कालीन अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर (साामन्य शाखा)** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:43 IST
Reason: SelfAttested